

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 135 / 2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक,
शुभम हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस
कम्पनी लिमिटेड शाखा 14 - बी, प्रेम
भवन, पुर रोड, गांधी नगर, केनरा
बैंक के पास, भीलवाड़ा

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रोशनलाल सुवालका
निवासी होदा खाचरोल, भीलवाड़ा ग्राम
देवी सिंह जी का खेडा ग्राम पंचायत
मुकुन्द पुरिया, तहसील माण्डलगढ
2. श्रीमती सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण
सुवालका निवासी होदा खाचरोल,
भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी— श्री नितिन गुप्ता

निर्णय

दिनांक : 21-8-2019

प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबन्धक शुभम हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड शाखा भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा की ओर से प्राधिकृत अधिकारी श्री नितिन गुप्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीया को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 8,80,000/- रुपये दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - लक्ष्मीनारायण सुवालका एवं श्रीमती सुमन ग्राम देवी सिंह जी का खेडा ग्राम पंचायत मुकुन्द पुरिया, तहसील माण्डलगढ में स्थित आराजी नं. 381/110 रकबा 03 बिस्वा क्षेत्रफल 243 वर्गमीटर हैं, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है, को रहन रखा गया। दिनांक 19.08.2016 तक कुल बकाया ऋण की राशि 8,47,178/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 15.08.2016 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

2-

समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २-४ .2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
(राज.)